HINDUSTAN TIMES, Patna, 23.11.2024
Page No. 3, Size:(3.49)cms X (13.22)cms.

NHRC NOTICE TO CS OVER DEATHS AT ASHRA GRIHA

Mukesh Kumar Mishra
htpatna@hindustantimes.com

PATNA: The national human rights commission (NHRC) has taken suo motu cognisance after three girls died and 13 inmates fell ill due to food poisoning at Ashra Griha, a shelter home run by the state government at Patel Nagar in the state capital from November 7 to November 13.

The NHRC has issued notice to the chief secretary and sought a detailed report within two weeks.

The shelter home is reportedly funded by the Directorate of Empowerment of Persons with Disabilities, Government of Bihar, it added. The rights panel observed that the media report, if true, raises a serious issue of human rights violation of the victims.

On the basis of the media report, the NHRC took suo motu cognizance of the incident on the basis of media report and reported that the inmates had reportedly complained about vomiting and diarrhoea after having a meal. They were admitted to the PMCH after they fell ill on November 7.

Three inmates later died from November 7 to November 13.

AMAR UJALA, Chandauli, 23.11.2024
Page No. 2, Size:(16.89)cms X (17.87)cms.

मानवाधिकार आयोग के हस्तक्षेप से परिजनों को मिला मुआवजा

संवाद न्यूज एजेंसी

पीडीडीयू नगर। समाज कल्याण विभाग ने इलिया थाना के सरैया गांव निवासी शिवमूरत केशरी को फाइलों में मृत दिखाकर उनकी पेंशन रोक दी थी।

शिवमूरत केशरी ने डीएम से शिकायत की लेकिन सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने मानवाधिकार सीडब्लूए के चेयरमैन योगेन्द्र कुमार सिंह (योगी) से शिकायत की। शिकायत के बाद मानवाधिकार आयोग ने मामले का संज्ञान लेते हुए डीएम को पेंशन जारी करने का निर्देश जारी किया।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के हस्तक्षेप पर उनकी पेंशन चालू हो गई और पीड़ित को उस समय दस हजार रुपये का मुआवजा नहीं मिला।

पीड़ित की मृत्यु होने के बाद उनके परिजनों ने आयोग में अपील की। इसके बाद आयोग के हस्तक्षेप से बेटे को मुआवजे की राशि मिली।

30 मई 2023 को पीड़ित शिवमूरत केशरी की हो गई थी मृत्यु

एक जून 2023 को डीएम कार्यालय से एक रिपोर्ट प्राप्त हुई। इसमें कहा गया कि पीड़ित की पेंशन की प्रक्रिया ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से शुरू कर दी गई है।

आयोग ने अधिकारियों की लापरवाही एवं वृद्धा पेंशन जारी करने में देरी करने का दोषी पाए जाने पर पर सख्त कदम उठाते हुए चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए पूछ की क्यों न आयोग पीड़ित को वृद्धा पेंशन के वितरण में देरी के लिए ब्याज के अतिरिक्त 10,000रुपये मुआवजे के रूप में देने के लिए संस्तुति करे।

आयोग ने मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 18 (सी) के तहत चीफ सेक्रेटरी को कारण बताओ नोटिस जारी किया। कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद निदेशक समाज कल्याण लखनऊ ने 18 अक्तूबर 2023 को रिपोर्ट के माध्यम से आयोग को बताया कि पीड़ित की पेंशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद वित्तीय वर्ष 2022-23 में 3000 रुपये उसके बैंक खाते में स्थानांतरित कर दिया गया है।

रिपोर्ट में यह भी प्रस्तुत किया गया कि पीड़ित शिवमूरत केशरी की मृत्यु 30 मई 2023 को हो गई थी और इन परिस्थितियों में 10,000 रुपये का मुआवजा उचित नहीं है।

सरकार के लापरवाह रवैये पर सख्त आदेश देते हुए आयोग ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि शिवमूरत केशरी के परिजन को 10 हजार रुपये का मुआवजा जारी करें।

आयोग के सख्ती बाद नौ अक्तूबर 2024 को पेंशनभोगी शिवमूरत केशरी के बेटे विजय केशरी को 10 हजार रुपये मुआवजा का भुगतान किया गया है।